कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

–:: निविदा ::–

इस न्यायिक जिला स्थापना पर वाहन स्टैण्ड का संचालन निर्धारित शर्तों के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 12/12/2026 को शाम 03:00 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर वाहन स्टैण्ड के ठेके हेतु खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं ।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

01. नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को राशि 5000/– रूपये जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी । उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

02. नवीन जिला न्यायालय भवन में वाहन स्टेण्ड संचालन की राशि ..... रूपये प्रतिमाह में दिनांक ..... से ..... वर्ष की अवधि दिनांक ..... तक अथवा आगामी आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए प्रदान किया जावेगा।

03. वाहन स्टैण्ड का मासिक ठेका राशि रूपये 11054/– (राशि ग्यारह हजार, चौवन रूपये) न्यूनतम निर्धारित की गई है, उक्त राशि से कम की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी तथा जिस व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक राशि का दिया जाना प्रस्तावित किया जावेगा, उस व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जावेगी।

04. वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा की शर्त अनुसार ठेकेदार के द्वारा तीन माह का किराया राशि रूपये ..... सुरक्षा निधि के रूप में जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, दतिया के पास एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगा।

05. वाहन स्टेण्ड ठेकेदार द्वारा मासिक किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, दतिया के पास जमा करना होगा।

06. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा ''स्वच्छ न्यायालय अभियान'' के अंतर्गत साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा तथा सफाई व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करानी होगी।

07. ठेका अवधि के दौरान अनुबंधकर्ता द्वारा न्यायालय परिसर में अवैध गतिविधियों को किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं दिया जाएगा तथा न्यायालय की गरिमा सुनिश्चित की जाएगी।

08. वाहन स्टेण्ड में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही ठेकेदार द्वारा नहीं की जावेगी, जिससे शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

09. वाहन स्टेण्ड पर टोकन दिए गए वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वाहन को नुकसान कारित होने, चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान ठेकेदार द्वारा करना होगा।

10. सायकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की जावेगी।

साईकिल	:–	5/– रूपये प्रतिदिन
दो पहिया वाहन	:–	10/– रूपये प्रतिदिन
चार पहिया	:–	20/– रूपये प्रतिदिन

11. वाहन स्टेण्ड ठेका का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।

12. वाहन स्टेण्ड में ध्वनि प्रदूषण वर्जित रहेगा।

13. ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा।

14. वाहन स्टेण्ड ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह तक मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जमा सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

15. वाहन स्टेण्ड पर बाल श्रम कराया जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

16. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी।

17. वाहन स्टैण्ड का ठेका आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होगा और निविदा की शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर समयावधि पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

18. वाहन स्टैण्ड के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक अथवा सिविल मामला लंबित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)